भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3274

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

† 3274. श्री ए. राजा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) की शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा विद्यालय अवसंरचना को समावेशी/दिव्यांगता-अनुकूल बनाने के लिए इसे अद्यतन करने हेतु वित्तपोषण सहित विद्यालय अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या देश के विभिन्न विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के प्रतिधारण की प्रतिशतता जानने के लिए राज्य-वार कोई सर्वेक्षण कराया गया है क्योंकि विद्यालयों में शौचालयों सहित दिव्यांगता-अनुकूल अवसंरचना की कमी के कारण ऐसे अनेक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विभिन्न विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के प्रतिधारण की निगरानी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र हेतु समग्र शिक्षा योजना नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा संबंधी एक समर्पित घटक शामिल है। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता अनुसूची में उल्लिखित एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं वाले सभी सीडबल्यूएसएन को शामिल किया गया है। इस घटक के माध्यम से, सीडबल्यूएसएन को विशिष्ट छात्र-उन्मुख पहलों जैसे पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता और सहायक उपकरणों के प्रावधान, परिवहन, स्क्राइब और एस्कार्ट भत्ता सहायता, ब्रेल पुस्तकों और बड़े प्रिंट वाली किताबों, विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए वजीफा और शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है ताकि सामान्य विद्यालयों में उनकी अनूठी शैक्षिक आवश्यकताओं का उचित रूप से

निराकरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर चिकित्सीय पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए स्कूलों में बाधा मुक्त पहुँच हेतु दिव्यांगों के अनुकूल अवसरंचना जैसे रैंप, हैंडरेल वाले रैंप और शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। यूडाईज+ 2021-22 के अनुसार, देश भर में सीडबल्यूएसएन के लिए 10,69,795 स्कूलों में रैंप, 7,40,395 स्कूलों में हैंडरेल वाले रैंप और 4,01,487 स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय हैं। वर्ष 2024-25 के लिए पीएबी के माध्यम से रैंप के लिए 239.16 लाख रुपये और दिव्यांगों के अनुकूल शौचालयों के लिए 8962.07 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 10 जनवरी, 2024 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुगम्यता संहिता को अधिसूचित किया है और इसे दिनांक 20 जून, 2024 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के नियमों में अधिसूचित किया गया है। संहिता सीडब्ल्यूएसएन के लिए स्कूल सुविधाओं तक पहुंच की वास्तविक बाधाओं और सूचना एवं संचार बाधाओं की जांच करती है।

इसके अलावा, सरकार सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा के लिए कई पहल कर रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पीएम ई-विद्या पहल के तहत श्रवण बाधितों के लिए दिनांक 6 दिसंबर, 2024 को एक समर्पित चैनल शुरू किया गया है। पीएम ई-विद्या 24*7 डीटीएच चैनल नंबर 31 श्रवण बाधितों को लाभान्वित करने हेतु भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में अधिगम सामग्री प्रसारित करता है।

(ii) एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित किया जा रहा है, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में शब्दावली तैयार की गई हैं और इन ई-सामग्रियों की सुसंगत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर दीक्षा पोर्टल और पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जा रहा है। आईएसएलआरटीसी के सहयोग से विकसित 10,500 शब्दों का आईएसएल शब्दकोश दीक्षा पर अपलोड किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) **"समावेशी कक्षाओं हेतु शिक्षण अधिगम पहल" शीर्षक वाली लाइव इंटरेक्शन श्रृंखला** आयोजित करता है। प्रत्येक एपिसोड आधे घंटे की अवधि का है, जो अनिवार्य आईएसएल दुभाषिया के साथ पाठ्यपुस्तकों से एक कक्षा, एक विषय और एक अध्याय पर विचार करके समावेशी शिक्षण पद्धतियों के संवर्धन पर केंद्रित है।

(iv) सभी के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु, एनआईओएस वंचितों तक पहुँचने और विभिन्न सक्रिय उपायों को अपनाने की धारणा के साथ कार्य कर रहा है। अंधेपन और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के लिए टॉकिंग बुक्स, भारतीय सांकेतिक भाषा में विषय-विशिष्ट शब्दावली शब्दकोश और बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों के

लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में वीडियो प्रारूप में अधिगम सामग्री जैसी अधिगम सामग्री। ये एनआईओएस और ज्ञानामृत के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं।

(v) एनआईओएस देश का पहला बोर्ड है जो बधिर विद्यार्थियों हेतु आईएसएल को प्रथम भाषा विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। सांकेतिक भाषा का एक विषय (प्रथम भाषा) के रूप में उपयोग सुगम ज्ञान प्राप्ति और समझ को सक्षम करेगा। 'ऑन-डिमांड परीक्षाओं' का प्रावधान जो विद्यार्थियों को उनकी सुविधा अनुसार विशेष विषयों की परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करता है।

(vi) एनआईओएस 'घर पर परीक्षा' की सुविधा प्रदान करता है, जो गंभीर रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए घर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु असाधारण मामला-दर-मामला प्रावधान करता है। इस तरह की नम्यता से परीक्षाओं के दौरान उचित छूट मिलती है, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामान्य और विशिष्ट प्रावधान मिलता है।

(vii) सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायतें, जैसे स्क्राइब की सुविधा और प्रतिपूरक समय, स्क्राइब की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, शुल्क और विशेष छूट जैसे तीसरी भाषा से छूट, विषयों को चुनने में छूट, वैकल्पिक प्रश्न/पृथक प्रश्न आदि प्रदान की जाती हैं।

(viii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण/सशक्तिकरण हेतु मस्तिष्क पक्षाघात आदि से पीड़ित बच्चों सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय सहित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने हेतु सक्षम बनाना है।

(ix) डीईपीडबल्यूडी के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों के अध्ययन हेतु कक्षा 9 से 12 में नामांकित 100% बधिर (कर्णावर्त प्रत्यारोपण के बिना) और 100% दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय सहायता की सीमा प्रति छात्र 1.5 लाख रुपये या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है।

सीडबल्यूडी की निगरानी करने तथा शीघ्र जांच और हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने एनसीईआरटी के माध्यम से 'प्रशस्त' (पूर्व-मूल्यांकन समग्र जांच उपकरण); स्कूल स्तर पर छात्रों की संभावित दिव्यांगता की डिजिटल जांच हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने के लिए 23 भाषाओं (अंग्रेजी और हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ) में उपलब्ध है। अब तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं ने ऐप पर पंजीकरण किया है। ऐप के तहत चेकलिस्ट दिव्यांग बच्चों की शुरुआती जांच में सहायता करती है, फिर उन्हें दिव्यांगता के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए ले जाया जाता है, जिससे दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के आधार पर विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्कूल व्यक्तिगत शिक्षा योजना/थेरेपी/अधिगम सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं।

*****